जेएसटी

माननीय जीएस सिंघवी से पहले और *टीएचबी चलपति , जे.जे.* दलीप सिंह और अन्य - *याचिकाकर्ता।*

बनाम

वित्तीय सरकार, आयुक्त सह सचिव एवं अन्य - *प्रतिवादी।*

सीडब्ल्यूपी नं . . 1994 का 5781

26 जुलाई 1995

विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा एवं पुनर्वास) अधिनियम , , 1954- एस.एस. 8-ए, 22, 24 और 33- *विस्थापित व्यक्ति (पुनर्वास और मुआवजा)* नियम, 1955-आरएलए। 90(15), 92–भारत का संविधान, 1950–

' कला. 226/227- *भुगतान न करने के कारण आवंटन रद्द* करना

बंधक राशि - मुख्य निपटान आयुक्त मिशनर द्वारा आवंटन को रद्द कर दिया गया - नीलामी द्वारा संपत्ति की पूर्व बिक्री को शून्य माना जाएगा - 8 वर्ष *की समाप्ति के बाद संपत्ति की बहाली का आदेश उचित है* -

24(1) *के तहत मुख्य निपटान आयुक्त की शक्ति नहीं है*

92 *के प्रावधानों के अधीन - प्रबंध अधिकारी द्वारा पारित मूल आदेश* शुरू से ही शून्य घोषित किया जा सकता है - *आनुपातिक राशि वापस करने के निर्देश को अवैध या मनमाना नहीं कहा जा सकता है और वास्तव में पार्टियों के बीच न्याय को आगे बढ़ाता है - विस्थापित व्यक्तियों का संरक्षक का अधिकार संपत्ति, कहा गया.*

माना गया कि धारा 8-ए और विशेष रूप से उसकी उपधारा (2) की एक योजना पढ़ने से पता चलता है कि संसद का इरादा पश्चिमी पाकिस्तान में विस्थापित व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों के संबंध में बंधक राशि की वसूली के लिए प्रावधान करना था।

जो भारत में उनके प्रवास की तिथि पर ऐसे व्यक्ति के पक्ष में बंधक के अधीन थे जो भारत का निवासी नहीं है। यह प्रावधान कहीं भी बंधक राशि का भुगतान न करने पर विस्थापित व्यक्ति के पक्ष में किए गए आवंटन को स्वत: रद्द करने की बात नहीं करता है ।

(पैरा 10)

दलीप सिंह और वित्तीय **आयुक्त एवं** सचिव , हरियाणा सरकार **एवं** अन्य (जी.एस.सिंघवी , जे .)

इसके अलावा, यह माना गया कि इस न्यायालय ने लगातार यह दृष्टिकोण अपनाया है किसी विस्थापित व्यक्ति के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। बंधक राशि का भुगतान न करने के कारण रद्द कर दिया गया । हम निर्णयों में व्यक्त विचारों से सम्मानजनक सहमत हैं और हम इसे रद्द करने का आदेश देने में प्रबंध अधिकारी की कार्रवाई को सही मानते हैं। आवंटन सुंदर सिंह के पक्ष में किया गया

या बिना के

(पैरा 14)

इसके अलावा, यह माना गया कि शक्तियाँ मुख्य निपटान में निहित हैं आयुक्त व्यापक और व्यापक हैं और वह उस मामले में इस शक्ति का प्रयोग करने के हकदार हैं जहां अपील को धारा 22 के तहत प्रतिस्पर्धी प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया है या यहां तक कि जहां कोई अपील पसंद नहीं की गई है। "किसी भी समय रिकॉर्ड की मांग की जा सकती है" अभिव्यक्ति का उपयोग स्पष्ट रूप से मुख्य निपटान आयुक्त को अनुमोदन पारित करने की शक्ति प्रदान करने के विधायी इरादे का संकेत देता है। प्राथमिक आदेश जहां उसे पता चलता है कि अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अवैधता से ग्रस्त है या जो अन्यथा अनुचित है। 26 सितंबर, 1968 का आदेश मुख्य निपटान आयुक्त द्वारा अपने आचरण में पारित किया गया माना जाएगा।

अधिनियम की धारा 24 के तहत शक्ति और हम मुख्य निपटान आयुक्त द्वारा शक्ति के ऐसे प्रयोग के लिए पर्याप्त औचित्य पाते हैं क्योंकि 27 सितंबर, 1960 को प्रबंध अधिकारी द्वारा पारित प्रारंभिक आदेश अमान्य था।

प्रतिवादी संख्या 3 के पिता के पक्ष में किए गए आवंटन को रद्द करने के निपटारे के साथ, अधिकारियों द्वारा की गई सभी बाद की कार्यवाही को समाप्त माना जाएगा

के बिना ,

(पैरा 15 एवं 16)

आगे आयोजित किया गया। विस्थापित व्यक्ति (पुनर्वास एवं मुआवजा) 1954 अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियम, 1955 बनाए गए हैं। इन नियमों की स्थिति एक अधीनस्थ विधान की है। व्याख्या के सुप्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक यह है कि एक प्रत्यायोजित विधान या अधीनस्थ विधान यह मूल कानून पर हावी नहीं हो सकता। इसलिए, 1955 के नियमों में निहित कोई भी प्रावधान 1954 अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावित नहीं कर सकता है। यदि अधिनियम और नियमों के बीच कोई असंगतता है , तो पहले वाले को बाद वाले के मुकाबले प्रबल माना जाएगा। उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में यदि हम अधिनियम की धारा 24 एवं 1955 नियमावली के नियम 92 का परीक्षण करें। हमें विद्वान वकील के इस तर्क को खारिज करने में कोई झिझक नहीं है कि धारा 24 के तहत मुख्य निपटान आयुक्त में निहित शक्ति नियम 92 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित या उनके अधीन है। निहित शक्ति के दायरे को सीमित करने के लिए कोई वारंट नहीं है मुख्य निपटान आयुक्त ने यह माना कि उस शक्ति का प्रयोग करने से पहले नियम 92 में निहित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए ।

(पैरा 17)

आगे कहा गया, कि याचिकाकर्ताओं द्वारा 28 *दिसंबर,* 1974 को अपने आवेदन में की गई प्रार्थना पर एक नजर डालने से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं ने रद्द बैल बिक्री को रद्द करने के लिए प्रार्थना की थी और वैकल्पिक रूप से उन्होंने प्रार्थना की थी कि यह क्षेत्र मूल रूप से प्रतिवादी संख्या से संबंधित है। 3 वापस लिया जा सकता है. हमारी राय में , वैकल्पिक प्रार्थना करने के कारण याचिकाकर्ताओं को वित्तीय द्वारा पारित आदेशों की वैधता को चुनौती देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा है । सकता

(पैरा 1%))

_ *इसके अलावा,* 27 सितंबर, 1960 को प्रबंध अधिकारी द्वारा पारित मूल आदेश शुरू *से ही अमान्य था* और मुख्य निपटान आयुक्त ने आवंटन के उक्त रद्दीकरण को अलग रखने में सही किया था, वित्तीय आयुक्त द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 को भूमि के एक हिस्से को बहाल करने और याचिकाकर्ताओं की शेष भूमि की रक्षा करने के निर्देश दिए गए थे, साथ ही अधिकारियों को नीलामी के पैसे की आनुपातिक राशि वापस करने के निर्देश दिए गए थे, जिन्हें अवैध या मनमाना या अनुचित नहीं कहा जा सकता। बल्कि यह एक ऐसा आदेश है जिसके द्वारा पक्षों के बीच पर्याप्त न्याय किया गया है, लेकिन वित्तीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश का परिणाम यह है कि प्रतिवादी संख्या 3 को भूमि के एक हिस्से को वापस करने और याचिकाकर्ताओं की शेष भूमि की रक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। 3 को अपने पिता, जो वास्तव में एक विस्थापित व्यक्ति थे, के पक्ष में किए गए आबंटन का लाभ मिलता रहेगा तथा याचिकाकर्ता भी शेष संपत्ति का लाभ उठाएंगे।

(पैरा 18))

एएस चीरना , वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री गुरमित कौर . *याचिकाकर्ताओं* के लिए उनके साथ वकील ।

राजीव नारायण रैना , उप. *प्रतिवादी संख्या* 1 *और 2* के लिए महाधिवक्ता, हरियाणा, एफ ।

प्रतिवादी संख्या 3 के लिए वकील सीएल घई ।

प्रलय

जी.एस. *सिंघवी , जे*.

(1) ये दोनों याचिकाएं हरियाणा सरकार के वित्तीय आयुक्त और सचिव द्वारा पारित 24 मार्च, 1994 के आदेश के खिलाफ निर्देशित हैं। पुनर्वास विभाग, धारा 33 के अंतर्गत व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम, 1954, और इसलिए, इसका निर्णय एक सामान्य आदेश द्वारा किया जा रहा है।

सिंह, बलकार सिंह और सरदार सिंह, एक शिकायत के साथ कि

(2) 1994 का सीडब्ल्यूपी नंबर 5781 दलीप सिंह द्वारा दायर किया गया है, हरियाणा सरकार के वित्तीय आयुक्त और सचिव (पुनर्वास विभाग) ने 24 मार्च, 1994 को आदेश पारित किया कि बंधक के तहत भूमि को बहाल किया जाना चाहिए

~

प्रतिवादी सं. 3 और विवादित भूमि का शेष क्षेत्र याचिकाकर्ताओं के पास रहना चाहिए, कानून में गलत है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि प्रतिवादी सं. 3 खड़क सिंह द्वारा उसे आवंटित भूमि के संबंध में विभाजन से पहले मुस्लिम नागरिकों के नाम पर बंधक ऋण जमा करने में विफल रहने के कारण, प्रबंध अधिकारी (मोचन) ने 27 सितंबर, 1960 के आदेश के *अनुसार 4 मानक एकड़ और 9 यूनिट भूमि का आवंटन रद्द कर दिया और यह आदेश 9 फरवरी, 1962 के म्यूटेशन सं. 522 के अनुसार लागू किया गया, जिसके तहत संपत्ति संरक्षक संपत्ति के रूप में दर्ज हो गई। जमीन के इस टुकड़े को अन्य जमीनों के साथ नीलाम कर दिया गया और 15 जनवरी* 1964 और 10 फरवरी, 1964 को हुई नीलामी में सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले होने के कारण तहसीलदार -सह-प्रबंध अधिकारी ने इसे नीलाम कर दिया। थानेसर (कुरुक्षेत्र) में विवादित भूमि याचिकाकर्ताओं को मिल गई। उनके पक्ष में की गई बिक्री की पुष्टि की गई तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके पक्ष में म्यूटेशन भी स्वीकृत किया गया। बिक्री की पुष्टि के लगभग तीन वर्ष पश्चात, प्रतिवादी संख्या 3 ने विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा एवं पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 22 के अंतर्गत दिनांक 27 सितंबर, 1960 के निरस्तीकरण आदेश के विरुद्ध अपील दायर की। इसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया, लेकिन अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पुनरीक्षण दायर किए जाने पर। मुख्य बंदोबस्त आयुक्त ने दिनांक 26 सितंबर, 1968 को आदेश पारित कर निर्देश दिया कि यदि आवंटी बंधक राशि का भुगतान कर देता है, तो प्रबंध अधिकारी के आदेश के अनुपालन में पुनः प्राप्त की गई भूमि को वापस कर दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 3 ने बंधक राशि जमा कर दी तथा तहसीलदार (बिक्री)-सह-प्रबंध अधिकारी से संदर्भ प्राप्त कर लिया। 24 सितंबर, 1974 को उनके पक्ष में 10 फरवरी, 1964 को की गई भूमि की बिक्री को रद्द करने की मांग की । और उसके बाद उप सचिव (पुनर्वास)-सह-बंदोबस्त आयुक्त हरियाणा ने 24 अक्टूबर, 1974 को बिक्री को रद्द करने का आदेश पारित किया और प्रतिवादी संख्या 3 को कब्जा बहाल करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को विद्वान पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया है , *-देखें*
आक्षेपित आदेश दिनांक 24 मार्च 1994.

(3) आक्षेपित आदेशों को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता के पक्ष में की गई भूमि की बिक्री-

अंतिम हो गया था और निपटान आयुक्त के पास अधिनियम की धारा 33 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके नीलामी बिक्री को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं बचा था और नियम 9 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के अलावा बिक्री को रद्द नहीं किया जा सकता था? की

विस्थापित व्यक्ति (पुनर्वास और मुआवजा) नियम,

1955 (इसके बाद इसे 'नियम' कहा जाएगा-)।

(4) याचिकाकर्ताओं का एक और तर्क यह है कि प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में किए गए आवंटन को रद्द करने का वर्ष 1960 में पारित आदेश एक दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी रद्द नहीं किया जा सकता था और किसी भी आदेश के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जा सकता था। वास्तविक खरीददारों को पारित किया जा सकता है।

(5) में उनके जवाब में प्रतिवादी नंबर 1 और 2 ने कहा कि 4 मानक एकड़ 9 यूनिट सी50 कनाल की भूमि, जो बुरा माई के पुत्र सुंदर सिंह (प्रतिवादी नंबर 3 के पिता) को आवंटित की गई थी, बंधक राशि का भुगतान न करने के कारण रद्द कर दी गई थी। इसके खिलाफ प्रतिवादी नंबर 3 ने एक एनील और फिर एक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे 26 सितंबर को मुख्य निपटान आयुक्त ने स्वीकार कर लिया। 1968. इस बीच 17 कनाल और 4 मरला भूमि की नीलामी 5 फरवरी 1964 को की गई और उच्चतम बोली लगाने वाले होने के कारण नियमों की धारा 90(15) के तहत याचिकाकर्ताओं के पक्ष में बिक्री प्रमाण पत्र जारी किए गए । इस नीलामी को उप सचिव (रिहाहितातिन्न)-सह-निपटान आयुक्त द्वारा रद्द कर दिया गया था क्योंकि प्रतिवादी नंबर 3 के पिता के पक्ष में किए गए आवंटन को रद्द करना स्वयं शून्य था। उत्तरदाताओं का आगे का मामला यह है कि 1954 अधिनियम की धारा 8 ए के संदर्भ में, बंधक राशि का भुगतान न करने से उत्तरदाता संख्या 1 और 2 सक्षम हो सकते थे। *उक्त राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में करने के लिए, लेकिन सुंदर सिंह के* पक्ष में किया गया आवंटन रद्द नहीं किया जा सकता था और इसलिए 29 जून, 1968 को मुख्य निपटान आयुक्त द्वारा आदेश पारित किया गया। बिल्कुल उचित था. उत्तरदाताओं ने अनुरोध किया है कि विवादित आदेश कानून की किसी भी त्रुटि से ग्रस्त नहीं हैं, जिसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

(6) 1994 के सीडब्ल्यूपी नंबर 9556 के तथ्य लगभग समान हैं। केवल अंतर यह है कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने 15 जनवरी 1966 को हुई नीलामी में जमीन खरीदी थी। अन्य सभी पहलुओं में उनका मामला 1994 के सीडब्ल्यूपी नंबर 5781 में याचिकाकर्ताओं के समान है।

(7) श्री द्वारा आग्रह किया गया पहला विवाद। एएस चीमा का कहना है कि मुख्य निपटान आयुक्त के पास बंधक को रद्द करने की कोई शक्ति नहीं थी , जिसे प्रबंध अधिकारी ने वर्ष 1960 में ही आदेश दिया था। चीमा ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 22 के तहत शक्ति का प्रयोग अपीलीय प्राधिकरण में केवल सीमा अवधि के भीतर अपील दायर करने पर किया जा सकता था और चूंकि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई थी।

सीमा अवधि के भीतर . प्रबंध अधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम हो गया और वर्ष 1968 में मुख्य निपटान आयुक्त द्वारा इसे रद्द नहीं किया जा सका। श्री चीमा का दूसरा तर्क यह है कि याचिकाकर्ताओं ने खुली नीलामी में जमीन खरीदी थी और जिन्होंने भुगतान किया था पूरी कीमत के आधार पर संपत्ति में उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता था क्योंकि बाद के समय में मुख्य निपटान आयुक्त ने प्रतिवादी नंबर 3 को बंधक राशि जमा करने की अनुमति दी थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि इसकी पुष्टि के 10 साल की अवधि के बाद नीलामी को रद्द करना पेटेंट की मनमानी से ग्रस्त है, और इसलिए, उप सचिव के साथ-साथ वित्तीय आयुक्त द्वारा पारित आदेशों को रद्द किया जाना चाहिए। श्री राजीव रैना और श्री सीएल घई ने विवादित आदेशों का समर्थन किया। उन्होंने तर्क दिया कि 1954 के अधिनियम की धारा 8-ए के तहत, जिसे आत्मनिरीक्षण प्रभाव दिया गया है, प्रतिवादी संख्या 3 के पिता के पक्ष में किए गए आवंटन को रद्द करना स्वयं शून्य था और इसलिए, मुख्य निपटान आयुक्त ने ऐसा नहीं किया। रद्दीकरण आदेश को रद्द करने में कोई अवैधता करें। श्री घई ने हमारा ध्यान याचिकाकर्ताओं द्वारा 28 दिसंबर, 1974 की अपनी याचिका में की गई प्रार्थना की ओर आकर्षित किया और तर्क दिया कि जब याचिकाकर्ताओं ने स्वयं एक वैकल्पिक प्रार्थना की थी कि मूल रूप से प्रतिवादी संख्या 3 से संबंधित क्षेत्रों को प्रभावित किए बिना वापस लिया जा सकता है। संपूर्ण बिक्री के मामले में, वे अब वित्तीय आयुक्त द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकते।

(8) विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजा और पुनर्वास अनुदान के भुगतान के लिए संसद द्वारा विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 पारित किया गया था। वर्ष 1968 में इस अधिनियम को संशोधित अधिनियम संख्या 17, 1968 द्वारा संशोधित किया गया था, ताकि विस्थापित व्यक्तियों द्वारा पश्चिम पाकिस्तान में छोड़ी गई संपत्तियों के संबंध में बंधक राशि की वसूली का प्रावधान किया जा सके। इसलिए, संशोधित अधिनियम द्वारा धारा 8-ए को शामिल किया गया है, जिससे विस्थापित व्यक्तियों को या तो मुआवजे से कटौती योग्य नकद राशि का भुगतान करने पर संपत्ति को बनाए रखने या ऐसी कटौती की राशि के बराबर मूल्य के संपत्ति के हिस्से को आत्मसमर्पण करने का विकल्प दिया गया है और भुगतान न करने पर, राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है। धारा 8 ए, जो इस मामले में प्रासंगिक है, नीचे पुन: प्रस्तुत की गई है: -

"8 ए. बंधक संपत्तियों के मामलों में मुआवजे का भुगतान:-

(1) जहां किसी भी विस्थापित व्यक्ति को पश्चिमी पाकिस्तान में उसके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के बदले कोई मुआवजा देय है

पक्ष में बंधक के अधीन था जो भारत में निवासी नहीं है, निपटान आयुक्त, विस्थापित व्यक्ति को एक उचित नोटिस देने के बाद, मूल राशि का निर्धारण करेगा जिसके लिए संपत्ति इस प्रकार गिरवी रखी गई थी और इस प्रकार निर्धारित की गई मूल राशि का वह भाग उसी अनुपात में होगा जैसा कि विस्थापित व्यक्ति को देय मुआवजा उस गिरवी रखी गई संपत्ति के संबंध में विस्थापित व्यक्ति के सत्यापित दावे के मूल्य से घटाया जाएगा। गिरवी रखी गई संपत्ति के संबंध में देय मुआवजा:

बशर्ते कि जहां किसी विस्थापित व्यक्ति को ऐसी कटौती किए बिना मुआवजा दिया गया है, तो विस्थापित व्यक्ति केंद्र सरकार को ऐसी कटौती की राशि उसके निर्धारण के तीन महीने के भीतर या ऐसी लंबी अवधि के भीतर भुगतान करेगा जो निर्धारित की जा सकती है।

बशर्ते कि जहां किसी विस्थापित व्यक्ति को मुआवजा पूल से किसी भी संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण के किसी अन्य तरीके से मुआवजा दिया गया हो, विस्थापित व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, तीन महीने की पूर्वोक्त अवधि के भीतर या . उपरोक्त के अंतर्गत

निर्धारित अवधि-

(ए) या तो उपरोक्त राशि का नकद भुगतान करने पर संपत्ति अपने पास रखेगा, या

(बी) ऐसी कटौती की राशि के बराबर उधार दी गई मूल्य की उस संपत्ति का एक हिस्सा आत्मसमर्पण कर देगा, ऐसा मूल्य निपटान आयुक्त द्वारा निर्धारित तरीके से निर्धारित किया जाएगा।

उपधारा (1) के तहत उसके मुआवजे से काटा जा सकता है। या ऐसी राशि के बराबर मूल्य की संपत्ति को आत्मसमर्पण करने में विफल रहता है, तो ऐसी राशि को भू-राजस्व के बकाया के समान ही वसूल किया जा सकता है।

(9) नियम 90(15) और 1955 के नियम 92 नियम, जिन पर याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने भरोसा जताया है , वे भी संबंधित हैं

उत्पादित :-

"90. *सार्वजनिक नीलामी द्वारा संपत्ति की बिक्री की प्रक्रिया.—*

(15) जब नीलामी क्रेता से खरीद मूल्य पूरी तरह से वसूल कर लिया गया है, तो प्रबंध अधिकारी उसे परिशिष्ट XXXl या XXX , III में निर्दिष्ट प्रपत्र में बिक्री प्रमाण पत्र के रूप में जारी करेगा , जैसा भी मामला हो। बिक्री प्रमाणपत्र की एक प्रमाणित प्रति उसके द्वारा उस पंजीकरण अधिकारी को भेजी जाएगी जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर

संपूर्ण संपत्ति या उसका कोई भाग जिससे प्रमाणपत्र संबंधित है, स्थित है। 11 नीलामी क्रेता एक विस्थापित व्यक्ति है और उसने अपने साथ किसी अन्य विस्थापित व्यक्ति को सत्यापित किया है जिसका शुद्ध मुआवजा खरीद मूल्य के विरुद्ध पूर्ण या आंशिक रूप से समायोजित किया जाना है, बिक्री प्रमाण पत्र सभी के नाम पर संयुक्त रूप से बनाया जाएगा। ऐसे व्यक्ति और ब्याज की सीमा निर्दिष्ट करेंगे

संपत्ति में प्रत्येक का .

92. *बिक्री को रद्द करने या रद्द करने की* प्रक्रिया - *जहां* कोई व्यक्ति चाहता है कि नियम 90 या 91 के तहत की गई किसी भी संपत्ति की बिक्री को बिक्री के संचालन में किसी कथित अनियमितता या धोखाधड़ी के कारण रद्द कर दिया जाना चाहिए (छ) बिक्री के नोटिस में सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री) वह इस आशय का एक आवेदन निपटान आयुक्त या उसके द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी को, बोली या निविदा की स्वीकृति को मंजूरी देने के लिए, जैसा भी मामला हो, के पास ले जा सकता है।(2) इस नियम के तहत बिक्री को रद्द करने के लिए प्रत्येक आवेदन किया जाएगा-

(ए) जहां बिक्री सार्वजनिक नीलामी द्वारा की जाती है, बोली की स्वीकृति की तारीख से सात दिनों के भीतर;

(बी) जहां निविदाएं खोले जाने की तारीख से सात दिनों के भीतर निविदाएं आमंत्रित करके बिक्री की जाती है।

(3) यदि कथित तथ्यों पर विचार करने के बाद, जिस अधिकारी को इस नियम के तहत आवेदन किया गया है, वह संतुष्ट है कि प्रकाशन या बिक्री के संचालन में कोई महत्वपूर्ण अनियमितता या धोखाधड़ी की गई है, तो वह आदेश दे सकता है कि संपत्ति की पुनः नीलामी की जाएगी या नई निविदाएं आमंत्रित करके पुनः बेची जाएगी, जैसा भी मामला हो :

बशर्ते कि इस नियम के तहत किसी भी बिक्री को तब तक रद्द नहीं किया जा सकता जब तक कि तथ्यों के साबित होने पर ऐसा अधिकारी संतुष्ट न हो जाए कि आवेदक को इसके कारण पर्याप्त चोट लगी है।

अनियमितता या धोखाधड़ी, जैसा भी मामला हो।

(4) इस नियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, निपटान आयुक्त, अपने स्वयं के प्रस्ताव से, इस अध्याय के तहत किसी भी बिक्री को रद्द कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि आचरण में कोई भी भौतिक अनियमितता या धोखाधड़ी हुई है जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को पर्याप्त चोट लगी है। बिक्री का. '

(10) धारा 8 ए और विशेष रूप से उसकी उपधारा (2) को पढ़ने से पता चलता है कि संसद का इरादा पश्चिमी पाकिस्तान में विस्थापित व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों के संबंध में बंधक राशि की वसूली के लिए प्रावधान करना था। भारत में उनके प्रवास की तारीख एक ऐसे व्यक्ति के पक्ष में बंधक के अधीन थी जो भारत का निवासी नहीं है। यह प्रावधान कहीं भी बंधक राशि का भुगतान न करने के कारण विस्थापित व्यक्ति के पक्ष में किए गए आवंटन को स्वचालित रूप से रद्द करने की बात नहीं करता है ।

(11) यह प्रावधान *बुद्ध राम* बनाम *बिहारी लाई और अन्य* (1) में इस न्यायालय के समक्ष व्याख्या का विषय बन गया , और धारा 8 ए का संदर्भ देने के बाद इस न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क को अस्वीकार कर दिया कि पुनर्वास प्राधिकरण विस्थापित व्यक्तियों के पक्ष में किए गए आवंटन को इस आधार पर रद्द करने में पूरी तरह से न्यायसंगत थे कि पश्चिमी पाकिस्तान में ऐसे व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई भूमि मुसलमानों के पास बंधक थी और बंधक राशि का भुगतान उन्होंने पुनर्वास अधिकारियों को नहीं किया था। इस तर्क को अस्वीकार करते हुए इस न्यायालय ने टिप्पणी की:—

> "इस विवाद में कोई दम नहीं है। ऊपर उद्धृत धारा 8-ए के प्रावधानों से यह नहीं पता चलता है कि प्रबंध अधिकारी के पास बंधक राशि का भुगतान न करने के कारण विस्थापित व्यक्ति के पक्ष में किए गए आवंटन को रद्द करने की कोई शक्ति निहित थी। धारा में जो कुछ बताया गया वह यह था कि एक ऐसे मामले में जहां यह पाया गया कि एक विस्थापित व्यक्ति ने अपनी जमीन पाकिस्तान में मुसलमानों को गिरवी रख दी थी और भारत आ गया था और जमीन उसे आवंटित की जानी थी। तब निपटान आयुक्त द्वारा उस मूल राशि का निर्धारण करने के लिए एक नोटिस जारी किया जाएगा जिसके लिए संपत्ति को गिरवी रखा गया था। यह सुनिश्चित करने के बाद कि, उस राशि का ऐसा हिस्सा वही अनुपात रखता है- जैसा कि विस्थापित व्यक्ति को देय मुआवजा सत्यापित दावे के मूल्य पर पड़ता है।

(1) (1969) 71 पीएलआर 93।

की , गिरवी रखी गई संपत्ति के कारण देय मुआवजे से कटौती की जाएगी। ऐसे मामले में जहां विस्थापित व्यक्ति को बिना किसी कटौती के मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है (जो कि कई मामलों में स्थिति होगी, क्योंकि यह धारा 8-ए मुख्य अधिनियम में 1968 में ही पेश की गई थी, लेकिन पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ) , विस्थापित व्यक्ति को उक्त राशि निर्धारित होने की तारीख से तीन महीने के भीतर उससे देय राशि का भुगतान करने का विकल्प दिया गया था। जहां विस्थापित व्यक्ति को मुआवजा पूल से संपत्ति के हस्तांतरण के माध्यम से मुआवजा दिया गया था, उसे विकल्प दिया गया था कि या तो (ए) उसे दी गई संपत्ति को बनाए रखें और नकद में देय राशि का भुगतान करें; या (बी) देय राशि के बराबर संपत्ति का एक हिस्सा सरेंडर कर देगा; अधिकारियों को उक्त राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने की शक्ति दी गई थी। इन प्रावधानों का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि बंधक राशि का भुगतान न करने पर अधिकारी आवंटन रद्द करने के हकदार हैं। इस धारा के तहत प्रबंध अधिकारी को ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई। इस धारा में एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसका पालन संबंधित अधिकारियों को करना होता है और उसका अनुपालन करने के बाद, वे विस्थापित व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया के रूप में देय राशि की वसूली करने के लिए अधिकृत होते हैं , लेकिन केवल तभी जब वह भुगतान नहीं करता है। या उस राशि के बराबर मूल्य की संपत्ति सरेंडर कर देगा। यह वसूली, निश्चित रूप से, संपत्ति आवंटन या किसी अन्य संपत्ति को बेचकर या पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 67 में उल्लिखित किसी अन्य तरीके से की जा सकती है।

(12) सुम्मा राम और अन्य बनाम चैन सिंह और अन्य (2) में, इस अदालत ने बुद्ध राम के मामले (सुप्रा) में की गई उपरोक्त टिप्पणियों को एक ऐसे मामले में लागू किया जहां आवंटन का केवल एक हिस्सा भुगतान न करने के कारण रद्द कर दिया गया था। या बंधक राशि. इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि बुद्ध राम के मामले (सुप्रा) में की गई टिप्पणियाँ , जो धारा 8-ए के प्रावधानों पर आधारित थीं, समान रूप से लागू होंगी जहां संपूर्ण रद्दीकरण होगा

(2) एआईआर 1971 पंजाब और हरियाणा 259

का या उसका केवल एक भाग। *गोपाल में चंद एवं अन्य* वि. इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश, *वित्तीय आयुक्त, राजस्व और सरकार के सचिव, हरियाणा और अन्य (3) ने माना कि* आवंटी द्वारा राशि का भुगतान करने या संपत्ति का एक हिस्सा सरेंडर करने में विफलता अधिकारियों को बंधक राशि की वसूली करने का अधिकार दे सकती है। धारा 8-ए (2) के तहत भू-राजस्व के बकाया के रूप में, लेकिन आवंटन के एक हिस्से को रद्द करने का उन्हें कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और केवल भुगतान न करने के आधार पर विस्थापित व्यक्तियों के पक्ष में किए गए आवंटन को रद्द करने का आदेश पारित किया गया। गिरवी की रकम गैरकानूनी और अधिकार क्षेत्र के बिना होगी। विद्वान न्यायाधीश ने आगे कहा कि यदि आवंटन को रद्द करना क्षेत्राधिकार के बिना पाया जाता है, तो संपत्ति की बाद की नीलामी या बिक्री प्रमाण पत्र जारी करना अवैध और शून्य माना जाएगा।

(13) *जागीर सिंह और अन्य* बनाम *मुख्य निपटान आयुक्त, पंजाब और अन्य* (4) में, इस न्यायालय ने माना कि जहां एक अवैध आदेश द्वारा आवंटन रद्द करने पर भूमि बहुत सारी बेची गई थी और बिक्री प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, लेकिन मुख्य निपटान आयुक्त ने अधिनियम की धारा 24 के तहत प्रदत्त पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवंटन रद्द करने को रद्द कर दिया, नीलामी शुरू *से ही शून्य होगी।* आगे यह भी माना गया है कि जारी होने के बाद भी नीलामी के अनुसरण में बिक्री प्रमाणपत्र के मामले में मुख्य निपटान आयुक्त अधिनियम की धारा 24 के तहत बिक्री को रद्द करने का हकदार था और नियमों का नियम 90 मुख्य निपटान आयुक्त की पूर्ण शक्तियों के अधीन था।

(14) उपरोक्त अधिकारियों से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने लगातार यह विचार रखा है कि विस्थापित व्यक्ति के पक्ष में किया गया आवंटन बंधक राशि का भुगतान न किए जाने के कारण रद्द नहीं किया जा सकता है। हम उपरोक्त संदर्भित निर्णयों में व्यक्त किए गए विचारों से सम्मानपूर्वक सहमत हैं और हम मानते हैं कि सुंदर सिंह (प्रतिवादी संख्या 3 के पिता) के पक्ष में किए गए आवंटन को रद्द करने का आदेश देने में प्रबंध अधिकारी की कार्रवाई उचित थी।

के बिना और आरंभ *से ही शून्य।*

(15) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क है कि मुख्य निपटान आयुक्त आवंटन रद्द करने को रद्द नहीं कर सकते थे क्योंकि अधिनियम की धारा 22(1) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा कोई अपील नहीं की गई थी। ,

(3) एटीआर 1981 पंजाब और हरियाणा 125। (4) एआईआर 1970 पंजाब और हरियाणा 507।

में , बिना योग्यता के। अधिनियम की धारा 22 में निपटान अधिकारी या प्रबंध अधिकारी के आदेश से व्यथित किसी भी व्यक्ति द्वारा अपील का प्रावधान है और ऐसी अपील को 30 दिनों के भीतर निपटान आयुक्त के विवेक के साथ दायर किया जाना आवश्यक है ताकि अपीलकर्ता संतुष्ट होने पर देरी को माफ कर सके। अपीलीय प्राधिकारी ने कहा कि उसे पर्याप्त कारण से समय पर अपील दायर करने से रोका गया था। धारा 23 में निपटान आयुक्त या अतिरिक्त निपटान आयुक्त या अतिरिक्त निपटान आयुक्त या प्रबंध निगम के आदेशों के खिलाफ मुख्य निपटान आयुक्त के समक्ष अपील करने का प्रावधान है। ऐसी अपील दायर करने की सीमा भी 30 दिन है, जिसमें मुख्य निपटान आयुक्त को उचित मामलों में देरी को माफ करने का विवेक है। अधिनियम की धारा 24(1) मुख्य निपटान आयुक्त को पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करती है। इस प्रावधान के आधार पर मुख्य निपटान आयुक्त को अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही का रिकॉर्ड मांगने का अधिकार दिया गया है जिसमें एक निपटान अधिकारी, एक सहायक निपटान अधिकारी, एक सहायक निपटान आयुक्त, एक अतिरिक्त निपटान आयुक्त द्वारा एक आदेश पारित किया गया है। एक प्रबंध अधिकारी या एक प्रबंध निगम. इस शक्ति का प्रयोग मुख्य निपटान आयुक्त द्वारा ऐसे आदेश की औचित्य और वैधता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से किसी भी समय किया जा सकता है और वह उचित आदेश पारित करने का हकदार है जैसा वह उचित समझे। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए मुख्य निपटान आयुक्त ने 26 सितंबर, 1968 को आदेश पारित किया और घोषणा की कि यदि आवंटी बंधक राशि का भुगतान करता है तो भूमि उसे वापस कर दी जाएगी। इसके बाद, प्रतिवादी सं. 3 ने बंधक राशि जमा कर दी और तहसीलदार (बिक्री) द्वारा दिए गए संदर्भ पर , निपटान आयुक्त ने मुख्य निपटान आयुक्त द्वारा पारित आदेश को प्रभावी करने की दृष्टि से याचिकाकर्ता के पक्ष में की गई बिक्री को रद्द कर दिया । मुख्य निपटान आयुक्त में निहित शक्तियां व्यापक और व्यापक हैं और वह उस स्थिति में इस शक्ति का प्रयोग करने का हकदार है जहां धारा 22 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपील खारिज कर दी गई है या यहां तक कि जहां कोई अपील पसंद नहीं की गई है। अभिव्यक्ति का उपयोग "किसी भी समय रिकॉर्ड के लिए कॉल कर सकता है" स्पष्ट रूप से मुख्य निपटान आयुक्त को एक उचित आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करने के विधायी इरादे का संकेत देता है, जहां वह पाता है कि एक अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश एक से ग्रस्त है अवैधता या जो अन्यथा अनुचित है। 26 सितंबर , 1968 का आदेश मुख्य निपटान आयुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 24 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके पारित किया गया माना जाएगा और हमें पर्याप्त जानकारी मिलती है

मुख्य निपटान आयुक्त द्वारा शक्ति के ऐसे प्रयोग का औचित्य क्योंकि 27 सितंबर, 1960 को प्रबंधन अधिकारी द्वारा पारित प्रारंभिक आदेश निरर्थक था।

(16) प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में किए गए आवंटन को रद्द करने के साथ, अधिकारियों द्वारा की गई सभी बाद की कार्यवाही को क्षेत्राधिकार के बिना प्रदान किया गया माना जाएगा। श्री चीमा यह कहने में सही हो सकते हैं कि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में संपत्तियों की बिक्री के समय आवंटन रद्द करने को शून्य घोषित करने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया गया था, लेकिन हमारी राय में इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। यदि 27 तारीख के आदेश द्वारा आवंटन रद्द किया गया है

सितंबर, 1960 शून्य *था प्रारंभ में,* मुख्य निपटान आयुक्त द्वारा 26 सितंबर के अपने आदेश *के तहत इस आशय की घोषणा की गई।* 1968 पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा, और इसलिए मुख्य निपटान आयुक्त द्वारा दिए गए निर्देशों को पूर्ण प्रभाव देने की दृष्टि से 24 अक्टूबर, 1974 को निपटान आयुक्त द्वारा पारित आदेश को अवैध या मनमाना नहीं माना जा सकता है।

हमारा यह निष्कर्ष *जागीर सिंह* बनाम *मुख्य निपटान आयुक्त* (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय के फैसले से पूरी तरह समर्थित है।

(17) श्री का तर्क चीमा ने कहा कि सभी याचिकाकर्ताओं के पक्ष में की गई बिक्री को रद्द करने को 1955 के नियम 92 की प्रक्रिया का पालन किए बिना रद्द नहीं किया जा सकता था, यह आकर्षक प्रतीत होता है, लेकिन करीबी जांच में खड़ा नहीं होता है। माना जाता है कि ये नियम केंद्र सरकार द्वारा 1954 अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए बनाए गए हैं। इन नियमों की स्थिति एक अधीनस्थ विधान की है। व्याख्या के सुप्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक यह है कि एक प्रत्यायोजित विधान या अधीनस्थ विधान मूल विधान पर हावी नहीं हो सकता। इसलिए, 1955 के नियमों में निहित कोई भी प्रावधान 1954 अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावित नहीं कर सकता है। यदि अधिनियम और नियमों के बीच कोई असंगतता है, तो पहले वाले को दूसरे के मुकाबले प्रबल माना जाएगा। यदि हम उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में अधिनियम की धारा 24 और 1955 नियमों के नियम 92 की जांच करते हैं, तो हमें इस तर्क को खारिज करने में थोड़ी झिझक होती है। विद्वान वकील ने कहा कि धारा 24 के तहत मुख्य निपटान आयुक्त में निहित शक्ति नियम 92 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित या उनके अधीन है। हमारी राय में, मुख्य निपटान आयुक्त में निहित शक्ति के दायरे को प्रतिबंधित करने का कोई वारंट नहीं है। कि उस शक्ति का प्रयोग करने से पहले नियम 92 में निहित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। ऐसे में मुख्य बंदोबस्त आयुक्त ने 29 जून को जो निर्देश दिया है. 1968 को अवैध या क्षेत्राधिकार रहित घोषित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जब मुखिया द्वारा आदेश पारित किया गया

सेटलमेंट कमिश्नर के अंतिम निर्णय से सेटलमेंट कमिश्नर सहित अन्य सभी प्राधिकारियों के लिए विवादित संपत्ति के आवंटन/नीलामी को रद्द करने के लिए कदम उठाना अनिवार्य हो गया था और उनके कार्यों को अमान्य नहीं माना जा सकता था। हमारी यह भी राय है कि प्रतिवादी नंबर 3 को संपत्ति की बहाली का आदेश पारित होने के साथ, नीलामी के माध्यम से संपत्ति की बिक्री और उसके बाद की सभी कार्रवाइयां शून्य मानी जाएंगी और इसके अनुपालन की कोई आवश्यकता नहीं है।
नियमावली के नियम 92 की आवश्यकता .

(18) समापन से पहले हम श्री के तर्क का उल्लेख कर सकते हैं घई , प्रतिवादी क्रमांक 3 के विद्वान वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता
प्रतिवादी संख्या 3 के पिता को आवंटित भूमि के पार्सल के संबंध में अपना दावा स्वयं छोड़ दिया था, और इसलिए, वे वित्तीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश की वैधता को चुनौती देने के हकदार नहीं हैं । याचिकाकर्ताओं द्वारा 28 दिसंबर, 1971 को दिए गए अपने आवेदन में की गई प्रार्थना पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं ने बिक्री को रद्द करने को रद्द करने का प्रयास किया था और वैकल्पिक रूप से उन्होंने प्रार्थना की थी कि मूल रूप से प्रतिवादी संख्या 3 से संबंधित क्षेत्र को वापस ले लिया जाए। . हमारी राय में, एक वैकल्पिक प्रार्थना करने के कारण याचिकाकर्ताओं को वित्तीय आयुक्त द्वारा पारित आदेशों की वैधता को चुनौती देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है । हालांकि, हमारे निष्कर्ष के मद्देनजर कि मूल आदेश 27 सितंबर को प्रबंध अधिकारी द्वारा पारित किया गया था। 1960 *शुरू से ही शून्य था* और मुख्य निपटान आयुक्त ने - आवंटन के उक्त रद्दीकरण को रद्द करने में सही किया था , प्रतिवादी संख्या 3 को भूमि के एक हिस्से की बहाली और शेष भूमि की रक्षा के लिए वित्तीय आयुक्त द्वारा दिया गया निर्देश याचिकाकर्ताओं को नीलामी के पैसे की आनुपातिक राशि वापस करने के लिए अधिकारियों को एक और निर्देश देने को अवैध या मनमाना या अनुचित नहीं कहा जा सकता है। बल्कि यह एक ऐसा आदेश है जिसके द्वारा पक्षों के बीच पर्याप्त न्याय किया गया है, लेकिन वित्तीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश का परिणाम यह है कि प्रतिवादी नंबर " अपने पिता के पक्ष में किए गए आवंटन का लाभ लेना जारी रखेगा , जो कि था" निश्चित रूप से एक विस्थापित व्यक्ति और याचिकाकर्ताओं को भी
बने रहने का आनंद मिलेगा
संपत्ति ।

(19) ऊपर उल्लिखित कारणों से, दोनों रिट याचिकाएँ विफल हो जाती हैं और उन्हें खारिज कर दिया जाता है।

आरएनआर

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय, वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके, और किसी अन्य उद्देश्य के लिया इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

जिज्ञासा शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी